फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 56 प्रभात जयपुर, शनिवार 26 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

**Who were the Hessians?**

The Hessians were supposed to quickly end the American Revolution. Instead, they endured years of battles and suffered thousands of casualties

**The Hindu in Ancient History**

How Bagore in Madhya Pradesh proves that Hinduism existed long before recorded history

# ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में सड़कों पर उतरे लोग

## जंतर मंतर पर एक्टिविस्ट्स, छात्रों और विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर सभी को रोका

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 25 सितंबर। चुनाव आयोग के कथित गलत कामों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। इसी बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन-एसआईआर) से संबंधित को लेकर विवाद अब चुनाव आयोग की फाइलों से निकलकर दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गया है। शुक्रवार को जंतर-मंतर पर ऐक्टिविक्ट्स छात्रों और राजनीतिक नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तो वहां भारी बैरिकेडिंग कर दी।

शुक्रवार को पुलिस की कार्रवाई ने निर्धारित प्रदर्शन स्थल को सुरक्षा घेरे में बदल दिया। चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क पर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वहां से हटा दिया, जबकि वामपंथी नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड के पीछे रोक दिया गया।

- सीईसी ज्ञानेश कुमार और एसआईआर संबंधी उनके मनमाने फैसलों के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है, देश भर से इस्तीफे की मांग उठ रही है।
- इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सीईसी ज्ञानेश कुमार द्वारा कथित तौर पर दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए फैसलों को चुनौती दी गई है। यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने अधिवक्ता चांद कुरैशी के जरिए दायर की।
- एक अन्य अधिवक्ता, बृजेश सिंह ने अटॉर्नी जनरल वेंकेट रमणी से सीईसी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी और सीईसी पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया।

प्रदर्शनकारियों ने "द ट्रिब्यून" को बताया कि सी पी आई (एमएल) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, ऐक्टिविस्ट योगेंद्र यादव और अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। एआईएसए (आईसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा को भी जंतर-मंतर से हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल बताया गया।

तत्काल मुद्दा ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग है, लेकिन यह टकराव केवल एक पदाधिकारी तक सीमित नहीं है। तीन सदस्यीय चुनाव आयोग के भीतर सामने आई कथित आपत्तियों ने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है कि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने या दोबारा शामिल करने जैसे फैसलों पर आखिरकार नियंत्रण किसका है। मतदाता सूची के डेटा पर केन्द्रीकृत नियंत्रण और ऐसी घटनाओं को लेकर भी चिंता जताई गई है, जहां अधिकारियों के फैसले सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्ज नहीं किए जा सके।

इस अभियान को तब और गति मिली, जब सीजेपी ने कुमार से 48 घंटे के भीतर इस्तीफा देने की मांग की और कहा कि अगर उन्होंने पद नहीं छोड़ा तो देशभर में आंदोलन तथा जंतर-मंतर पर फिर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।

इस बीच, प्रसिद्ध लेखक अमिताव घोष ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार के इस्तीफे की सीजेपी की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने मतदाता सूची के एस आई आर के दौरान पूरे देश में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जम्मु-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के प्रस्ताव पर वि.सभा में हंगामा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 सितम्बर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को श्रीनगर में राज्य विधानसभा में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इसके

- मु.मंत्री उमर ने जम्मु-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का प्रस्ताव रखा, भाजपा ने हंगामा किया और प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दीं।

बाद सदन में भारी हंगामा और धक्का-मुक्की हुई तथा भाजपा सदस्यों ने प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दीं।

प्रस्ताव में उमर अब्दुल्ला द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पहले पारित किए गए प्रस्तावों, जिसमें 2000 में पारित जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता का प्रस्ताव भी शामिल था, का उल्लेख किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया।

भाजपा सदस्य सदन के वैल में आ गए और नारेबाजी करते हुए प्रस्ताव की प्रतियां फाड़ दीं। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने भी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया है, "26 जून 2000 और 6 नवंबर 2024 को इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# ज्ञानेश कुमार और उनके परिवार को "स्पेशल प्रिविलेज"?

## ज्ञानेश कुमार की पुत्री और नोएडा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेघा रुपम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष तरजीह दिए जाने पर वकीलों ने विरोध जताया

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 सितम्बर। विपक्षी नेताओं द्वारा उनके महाभियोग की मांग तेज कर दी है, और इसी बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनका परिवार कई विवादों में और अधिक घिरते दिखाई दे रहे हैं।

निर्वाचन आयोग (इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया-ईसीआई) ने उत्तर प्रदेश में होने वाले दो "इलैक्टोरल लिटरेसी क्लब" (ई.एल.सी.) क्षेत्रीय सम्मेलनों को स्थगित कर दिया है, जिन्हें ज्ञानेश कुमार को संबोधित करना था। आयोग ने इसके लिए सामान्य प्रशासनिक और व्यवस्थागत कारण बताए हैं। मेरठ में 25 सितंबर को और वाराणसी में 28 सितंबर को होने वाले कार्यक्रमों को 21 सितंबर को स्थगित कर दिया गया। ये दोनों कार्यक्रम ईएलसी 2.0 मतदाता जागरूकता अभियान का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को जागरूक करना था। अधिकारियों ने

- मेघा रुपम ने याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने दिल्ली युनिवर्सिटी की छात्र नेता आकृति चौधरी को नैशनल सिक्युरिटी एक्ट में गिरफ्तार करने के फैसले को रद्द कर दिया था और आकृति को 5 लाख रु. का हर्जाना देने का फैसला किया था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि यह राशि मेघा के वेतन से वसूली जाए।
- मेघा की याचिका की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेघा से वसूली के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी।

आयोजन स्थल की उपलब्धता, वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्रम और प्राकृतिक परिस्थितियों का हवाला दिया। उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में भी इसी तरह के कार्यक्रम पहले स्थगित किए जा चुके हैं।

हालांकि कार्यक्रमों के स्थगित होने के समय ने इस मामले की ओर ज्यादा ध्यान खींचा है। यह फैसला "इंडियन एक्सप्रेस" की एक जांच रिपोर्ट के बाद आया है। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों के दौरान कम से कम 14 बार चुनाव आयोग के फैसलों और आदेशों पर औपचारिक आपत्ति दर्ज की थी। उनकी आपत्तियां, जो 2025 के अंत से अगस्त 2026 के बीच दर्ज की गईं और अक्सर ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गईं, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीजन/एसआईआर) से जुड़ी थीं। इनमें नए मतदाताओं को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# ज्ञानेश कुमार का मेरठ और वाराणसी दौरा स्थगित

## चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया, दौरा रद्द होने का संबंध मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े हालिया विवाद से नहीं है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 25 सितम्बर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मेरठ और वाराणसी का दौरा स्थगित कर दिया गया है। चुनाव आयोग के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि यह फैसला 21 सितंबर को लिया गया था और इसका चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों की खबरों से कोई संबंध नहीं है।

सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के दोनों शहरों के जिला अधिकारियों को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के दौरे को व्यवस्थागत और स्थानीय कारणों के साथ-साथ उनके

- उत्तर प्रदेश में मेरठ और वाराणसी में ज्ञानेश कुमार नए वोटर्स के साथ संवाद करने वाले थे।
- सूत्रों ने बताया कि सीईसी के उत्तराखंड, हिमाचल व लद्दाख के दौरे को भी स्थगित कर दिया गया है।

आधिकारिक कार्यक्रम में हुए बदलावों के कारण रीशिड्यूल किया गया है।

आयोग के सूत्रों ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के दौरे भी स्थगित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश का कार्यक्रम पर्यटन सीज़न और परीक्षाओं के कारण टाल दिया गया था।

उत्तराखंड में युवाओं के साथ होने वाली बातचीत का कार्यक्रम एसआईआर पूरा होने के बाद आयोजित किया जाएगा, जबकि लद्दाख का कार्यक्रम मानसरोवर में हुई आपदा के बाद स्थगित कर दिया गया।

सूत्रों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों में 1,000 तक युवा शामिल हो सकते हैं। इसलिए इनके आयोजन का समय मौसम, स्थानीय परिस्थितियों और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जयपुर, जोधपुर, कोटा में भाजपा के महापौर बने

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 25 सितम्बर। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में भाजपा के महापौर बने हैं। शुक्रवार को इन तीनों निगमों में पार्षदों के मतदान के बाद ये परिणाम सामने आए। जयपुर में सुनील कोठारी, जोधपुर में प्रसन्नचंद मेहता और कोटा में अनुसुइया गोस्वामी

- तीनों स्थानों में भाजपा ने अपने निर्वाचित पार्षदों के अलावा भी वोट हासिल किये।

महापौर बनीं। तीनों ही नगर निगम में भाजपा को चुनाव में जीते पार्टी के पार्षदों से ज्यादा वोट मिले। कोटा में तो कांग्रेस के पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग तक कर दी। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी राजेन्द्र सोलंकी को हार का सामना करना पड़ा।

देखा जाए तो इस बार निकाय चुनाव में प्रदेश के 10 नगर निगमों में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# अमेरिका के खिलाफ असंतोष के सुर सुनाई देने लगे हैं भारत सरकार में

## भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अमेरिका के व्यापार प्रतिबंध और टैरिफ तथा ग्राहम एक्ट, अमेरिका की अन्य देशों पर दबाव डालने की रणनीति है

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 25 सितंबर। ट्रंप प्रशासन के प्रति अब तक अपनाए गए एक तरह से नतमस्तक रवैये से अलग एक दुर्लभ स्वतंत्र रुख जाहिर करते हुए भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर (सी ई ए) वी. अनंत नागेश्वरन ने आज अमेरिका के व्यापार प्रतिबंधों, टैरिफ और ग्राहम एक्ट को लगातार दबाव की एक व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य देशों को प्रतिस्पर्धी भू-राजनीतिक गुटों में से किसी एक के साथ खड़े होने के लिए मजबूर करना है।

सी ई ए ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से दो या तीन

- नागेश्वरन ने साफ कहा कि भौगोलिक स्थिति, आर्थिक आकार व रणनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से भारत किसी एक गुट के साथ नहीं जुड़ सकता है।
- नागेश्वरन ने कहा कि व्यापार को हथियार बना दिया गया है और इसका इस्तेमाल बड़े देश दूसरे देशों को धमकाने के लिए कर रहे हैं।

प्रतिस्पर्धी गुटों के बीच आकार ले सकती है, जिसमें भू-राजनीति (जियोपॉलिटिक्स) का व्यापार, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा पर प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।

अनंत नागेश्वरन ने आज कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका के साथ अस्थिर संबंधों, वैश्विक ऊर्जा की कीमतों और देश में ए आई के क्षेत्र में सीमित भूमिका से निकट अवधि में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

जहां में पिछड़ापन और वैश्विक ऊर्जा कीमतें पहले से ज्ञात कारक हैं, वहीं संभवत: यह पहली बार है, जब किसी भारतीय सरकारी अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका के साथ संबंधों में आई खटास को स्वीकार किया है। अब तक नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी के डर से एक आज्ञाकारी साझेदार की भूमिका निभाती रही है।

सी ई ए के अनुसार, ग्राहम एक्ट और व्यापार प्रतिबंधों जैसे कदमों को देशों पर रणनीतिक विकल्प चुनने के बढ़ते दबाव के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ग्राहम एक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है, जो रूसी तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं।

नागेश्वरन ने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक आकार और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से देश के लिए किसी एक भू-राजनीतिक गुट के साथ पूरी तरह जुड़ना मुश्किल है।

हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि रणनीतिक लचीलापन बनाए रखने की भी आर्थिक और नीतिगत कीमत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## मुख्यमंत्री भजनलाल आज प्रतापगढ़, उदयपुर जायेंगे

जयपुर, 25 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को प्रतापगढ़ और उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत, मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। इसके

- वे विकास कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण करेंगे तथा भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।

साथ ही वे जनसभा को संबोधित करने के अलावा, भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रतापगढ़ के लिए रवाना होंगे। दोपहर करीब 12:40 बजे वे प्रतापगढ़ पहुंचकर दीपेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना करेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# कोचिंग संचालक द्वारा विरोधी अधिवक्ताओं को जान से मारने की धमकी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

## जयपुर के गोपालपुरा बाईपास से गैर कानूनी कोचिंग सैंटर्स को हटाने की पैरवी नहीं करने के लिए धमकी दी गई थी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 25 सितंबर । राजधानी जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर संचालित कोचिंग संस्थानों को हटाने के मामले में 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पुन: सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने पैरवी करते हुए अदालत में कहा कि, जयपुर के एक कोचिंग संचालक रघुवीर सिंह डागुर ने उन्हें व 10-बी स्कीम विकास समिति के महासचिव गोपाल कुमार अग्रवाल व अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल को 10 सितंबर को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन जयपुर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि धमकी देने वाले रघुवीर सिंह डागुर के खिलाफ शिप्रापथ थाने में 11 सितंबर को ही एफआईआर दर्ज करवायी जा चुकी है।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि मुख्य सचिव और डी.जी.पी. को 24 सितंबर को हाजिर होकर जवाब दें कि, अभियुक्त पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उधर इस प्रकरण में राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित हुए अधिवक्ताओं ने अदालत में कहा कि, उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से फोन पर बात कर ली है, डीजीपी ने 24 घंटे के भीतर आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है। जिस पर अदालत ने डीजीपी व मुख्य सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति रोकते हुए मामले की सुनवाई 23 नवंबर तय कर दी, परंतु हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आश्वासन के 3 दिन बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी ने अदालत में यह भी बताया कि, 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया था, जिसके बाद

- वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी ने अदालत में कहा कि, "जयपुर के कोचिंग संचालक रघुवीर सिंह डागुर ने हमें जान से मारने की धमकी दी और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी नहीं करने के लिए धमकाया।"
- इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी व मुख्य सचिव को 24 सितंबर को हाजिर होकर जवाब देने के आदेश दिए थे, परंतु राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने कहा कि डीजीपी ने 24 घंटे में इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 23 नवंबर तक टाल दी।
- वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि, "सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन देने के 3 दिन बाद भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा।"

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने 44 कोचिंग सेंटर्स को सील किया, जबकि करीब 22 कोचिंग सेंटर खुद ही यहां से शिफ्ट हो गए। गोपालपुरा बाईपास पर करीब 150 से ज्यादा कोचिंग सेंटर संचालित हैं, शेष बचे कोचिंग संस्थानों पर जेडीए प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, इस कारण कई बड़े कोचिंग संस्थान बिना रोक-टोक चल रहे हैं।

इस प्रकरण में राजदीपक रस्तोगी का कहना है कि, सुप्रीम कोर्ट में डीजीपी की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी रघुवीर सिंह डागुर पर 24 घंटे में कार्रवाई कर ली जाएगी, परंतु हैरानी की बात है कि अदालत में सरकार की ओर से आश्वासन दिए जाने के 3 दिन बाद तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया जायेगा।

गौरतलब है कि गत 11 सितंबर को 10-बी स्कीम विकास समिति के महासचिव गोपाल कुमार अग्रवाल ने शिप्रापथ थाने में कोचिंग संचालक रघुवीर सिंह डागुर के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करायी थी। उन्होंने एफ.आई.आर. में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेशों के बाद जेडीए ने 10 सितंबर को गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में संचालित कोचिंग सेंटर्स पर जब कार्रवाई शुरू की तो कोचिंग संचालक रघुवीर सिंह डागुर ने उन्हें फोन कर भद्दी गालियां देते हुए धमकाया। आरोप है कि डागुर ने धमकी दी कि अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट से केस वापस नहीं लिया तो गोपाल अग्रवाल, वीरेंद्र अग्रवाल और राजदीपक रस्तोगी को जान से मरवा दिया जाएगा। धमकी के दौरान कथित तौर पर डागुर ने अपनी राजनीतिक पहुंच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा आज रिटायर होंगे

जयपुर, 25 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश व एक्टिंग सीजे रहे संजीव प्रकाश शर्मा शनिवार को रिटायर हो रहे हैं। अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले जस्टिस शर्मा हाईकोर्ट परिसर

- बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व वकीलों ने माला, साफा पहनाकर सम्मान किया।

में वकीलों के बीच पहुंचे और उनसे अपने अनुभव साझा किए।

हाईकोर्ट के कॉरिडोर से होते हुए जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा गांधी चौक पहुंचे। यहां बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित दर्जनों वकीलों ने माला व साफा पहनाकर उनका सम्मान किया और आगामी जीवन की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान हाईकोर्ट मुंशी संघ ने भी जस्टिस शर्मा का सम्मान किया।